

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक, सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान दावाबाड़ी कोटा

क्रमांक / आईएमटीआई / लेखा-1 / 2019-20 /

दिनांक-

M/s Shrinath Travels,

Opp. The Grand Chandiram Hotel,

Chawani Chouraha, Kota

Mob.No.94141-87977

विषय:-संस्थान के शैक्षणिक भ्रमण हेतु बस /मिनी बस की वार्षिक दर संविदा।

सन्दर्भ:-आप द्वारा दी गई निविदा दिनांक 14.06.2019 एवं नेगोशियेशन दि. 24.06.2019

सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा को आप द्वारा दिनांक 14.06.2019 एवं नेगोशियेशन दि. 24.06.2019 को दी गई निविदा की दरें, न्यूनतम होने के कारण निविदा स्वीकृत की जाती है, फलस्वरूप आदेशित किया जाता है कि आप उप निदेशक (प्रशिक्षण) सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ करें।

आपकी कार्य अवधि दिनांक 5.7.2019 से 4.07.2020 तक रहेगी।

S.No.	Item	Sanctioned Rate (Rs) per K.M.
1	Rate contract for AC / Non AC Deluxe bus (2 x 2) 40 or 42 Seater coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum) Departure from IMTI, Kota / HWM/ Bikaner. Bus model - 2017 & above.	
1.01	A.C.	52.00
1.02	2) Non A.C	46.00
2	Rate contract for AC / Non AC Deluxe bus (2 x 1) 40 or 42 Seater sleeper coach for educational tour within & outside the State of Rajasthan, in other States on rental for 300 km/day (minimum) Departure from IMTI, Kota / HWM/ Bikaner. Bus model - 2017 & above.	
2.01	1) A.C.	52.00
2.02	2) Non A.C	46.00

यह आदेश श्रीमान मुख्य अभियंता एवं महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

1. दरें सभी प्रकार की कर सहित है।
2. विलो के भुगतान से पूर्व निविदादाता को अपने चेन नम्बर एवं जी. एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से संस्थान को सूचित करने होंगे।
3. स्त्रोत में से आयकर एवं अन्य करों की कटौतियाँ नियमानुसार की जावेंगी।

अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में 2375/- रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प पैपर के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार अनुबन्ध करें।

यह कार्य आदेश आपकी निविदा दिनांक 14.06.2019 एवं नेगोशियेशन दि. 24.06.2019 को दी

गई दर मद्य विभागीय शर्तों के इस अनुबन्ध के भाग होंगे।

संलग्न:-शर्तें

उपनिदेशक एवं तक. सहा.

SD

क्रमांक / आईएमटीआई / लेखा-1 / 2019-20 / 1107- 1112

दिनांक:- 5/7/19

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. संयुक्त निदेशक एवं ~~उप~~ निदेशक (प्रशिक्षण)
 2. उप निदेशक (सम्पदा)
 3. केशिपर / बिल लिपिक

संलग्न:- शर्तें

bn
उपनिदेशक एवं तक.सहा.

शर्तें

1. निविदाएं यथा सम्भव शर्तें रहित होनी चाहिए।
2. धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा के किसी भी भाग को या सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार महानिदेशक सिचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास संरक्षित है।
4. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह चालक के वेतन, डीजल/पैट्रोल की कीमत, सरकारी कर एवं परमिट की राशि को सम्मिलित करते हुए अपनी दरे देगा।
5. संस्थान की आवश्यकतानुसार निविदादाता को 24 घंटे के नोटिस पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदादाता के द्वारा अच्छी कण्ट्रीशन में मॉडल अनुसार वाहन मय ज़ाईवर के उपलब्ध कराना होगा। यदि रास्ते में ये वाहन खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत निविदादाता के द्वारा तुरन्त करानी पड़ेगी अथवा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। चार घंटे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध न कराने पर या इस वाहन की मरम्मत नहीं कराने पर संस्थान द्वारा निविदादाता के हर्ज खर्च पर दूसरा वाहन किराये पर ले लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. मुख्यतः वाहन का उपयोग पक्की सड़क पर ही किया जायेगा, लेकिन रास्ते में कच्ची सड़क आने पर या गन्तव्य स्थान तक केवल कच्ची सड़क उपलब्ध होने पर उस पर वाहन चलाना अनिवार्य होगा।
8. यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या निविदादाता के कर्मचारी को चोट लग जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।
9. सर्विस टैक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार का व्यय/टैक्स/पेनल्टी इत्यादि निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा। टोल टैक्स व अन्य राज्ज की एन्ट्री टैक्स का वहन रसीद के आधार पर संस्थान करेगा।
10. वाहन में बैठे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों इत्यादि का नियमानुसार बीमा रिस्क कवर करते हुये वाहन मालिक को बीमा कराना अनिवार्य है इस हेतु संस्थान द्वारा प्रथक से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा यह राशि दसों में सम्मिलित मानी जावेगी।
11. वाहन में कर्मचारियों(ज़ाईवर एवं खलासी) को रहन खाने इत्यादि सभी खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन करने होंगे।
12. वाहन को अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार चलाना होगा यदि इस सेवा में किसी प्रकार की कमी रहती है तो 500/-रु. प्रति घंटे की दर से पेनल्टी का भुगतान तथा अन्य कोई हर्ज नुकसान, वाहन मालिक से वसूल किया जावेगा।
13. वाहन आपूर्ति नहीं करने की दशा में वाहन मालिक के हर्ज खर्च पर अन्य वाहन संस्थान के अधिकृत अधिकारी बाजार से व्यवस्था कर सकेंगे तथा इस अतिरिक्त राशि का भुगतान वाहन मालिक के बिल से वसूल किया जावेगा।
14. वातानुकूलित व्यवस्था चालू नहीं होने पर उन कि.मी. के किराये साधारण बस की दर से किराया देय होगा तथा पेनल्टी के रूप में रुपये 100/-प्रति घंटा की दर से पेनल्टी का भुगतान बिल से काटा जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

उप निदेशक एवं तक.सहा.

